M.P. State Legal Services Authority, Jabalpur

User - Law and Legislative Affairs Department

Department	Power Point Presentation	1993 November, 2003 Achievement			December, 2003-2008 Achievement			2008-2009-10 upto Nov.09 Achievement			Work/ Project to be started
		Financial year	Financial	Physical persons benefited	Financial year	Financial	Physical persons benefited	Financial year	Financial	Physical persons benefited	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
M.P. State Legal Services Authority	(Slide No. 1) Legal Aid to poor and its programmes Legal Aid and advice (Slide No. 2) Lok Adalat (Slide No. 3) Legal Literacy Scheme (Slide No. 4) Zila Vidhik Paaramarsh Kendra (Distt. Legal counselling Centre) (Slide No.5) Parivarik Vivad Samadhan Kendra (Family Disputes Resolution Centre) (Slide No.6) Legal Aid Counsel in the Courts of Magistrates (Slide No.7) Vivad Viheen Gram (Legislation free village) (Slide No.8) Women and Child Protection Unit (Slide No.9) Crimes Against Labour Cell (Slide No.10) Legal Aid Clinic (Slide No.11) Permanent Lok Adalat for Public Utility Services (Slide No.12) Plea Bargaining	1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03	34,60,000 40,00,000 40,00,000 51,52,000 55,00,000 39,00,000 49,50,000 50,00,000 39,50,000 41,00,000	1,05,386 1,64,551 2,04,206 1,90,374 89,472 71,366 72,818 1,99,298 2,75,849 3,12,946	2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08	39,60,000 42,40,000 48,00,000 60,00,000 1,88,76,000	2,03,083 1,51,360 5,64,528 7,02,374 7,78,350	2008-09 2009-10 (upto Nov.09)	2,00,00,000 32,60,000	9,09,358 6,12,035	Nil

Note : Figure given of financial year (i.e. 1st April to 31st March of next year)

गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता योजना
(विधिक सहायता एवं सलाह)

इस योजना के अंतर्गत अनु. जाति, अनु. जनजाति, दुर्व्यहार से पीड़ित व्यक्ति, महिला, बालक, मानसिक रोगी, निर्योग्य व्यक्ति, प्राकृतिक अपदाओं से पीड़ित व्यक्ति, औद्योगिक कर्मकार, विचाराधीन बंदी एवं ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय रूपये 50,000/– से कम है, को सभी प्रकार के न्यायालयों में उनके प्रकरणों में निःशुल्क विधिक सहायता/सलाह उपलब्ध कराई जाती है। उनके प्रकरणों में अधिवक्ता नियुक्त कर, अधिवक्ता फीस व समस्त न्यायालयीन व्यय प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाता है ।

अब तक लाभांवित व्यक्तियों की संख्या – 8,87,681

लोक अदालत

- शीघ्र एवं सस्ता न्याय सुलभ कराने के उद्देश्य से उच्च न्यायालय, जिला एवं तहसील न्यायालयों में लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है । जिसमें समझौते योग्य ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में विचाराधीन है या न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना है (प्रिलिटिगेशन) में पक्षकारों के मध्य आपसी समझौता एवं समझाइश के आधार पर त्वरित निराकरण कराया जाता है।
- **अब तक 31,861 लोक अदालतें आयोजित की गई है, जिसमें 16,15,545 प्रकरणों का निराकरण कराया जाकार, पक्षकारों को राशि रूपये 10,46,80,91,985/— मुआवजा के रूप में दिलाया गया है ।**

विधिक साक्षरता शिविर

- लोगों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों एवं दायित्वों के साथ विभिन्न नियम, कानून, राज्य/केन्द्र शासन एवं राष्ट्रीय/राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं की जानकारी दी जाकर विधिक साक्षर/जागरूक बनाया जाता है। ये शिविर जिला, तहसील, गंदी–बस्तियों, ग्रामीण अंचलों में आयोजित किये जाते है ।
- **अब तक 15,947 शिविर आयोजित किये जाकर 36,85,717 लोगों को लाभांवित किया गया है ।**

जिला विधिक परामर्श केन्द्र

- प्रत्येक जिला न्यायालय परिसर में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में विधिक परामर्श केन्द्र स्थापित है । केन्द्र द्वारा ऐसे व्यक्तियों को, जो अशिक्षा या अज्ञानता के कारण अपने दायित्वों, कर्तव्यों, अधिकारों को नहीं जानते उन्हे विधिक परामर्श देकर जागरूक बनाया जाता है एवं उनकी समस्याओं का निदान कराया जाता है ।
- **अब तक 60,649 व्यक्तियों को लाभांवित किया गया है ।**

पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र

- प्रत्येक सिविल जिला न्यायालय एवं उसके अंतर्गत तहसील न्यायालयों में ऐसे समाधान केन्द्र स्थापित है । केन्द्र द्वारा परिवार के सदस्यों के मध्य उत्पन्न पारिवारिक विवादों का आपसी समझौते के आधार पर निपटारा कराया जाता है ।
- **अब तक 7,683 व्यक्तियों को लाभांवित किया गया है ।**

मजिस्ट्रेट न्यायालयों में विधिक सहायता अधिवक्ता योजना

- प्रत्येक जिला एवं तहसील स्तर पर स्थापित मजिस्ट्रेट न्यायालयों में इस योजना के अंतर्गत जेल, पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में बंदी को उनके रिमाण्ड/जमानत आवेदन में पैरवी हेतु अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाकर, अधिवक्ता शुल्क का भुगतान प्राधिकरण द्वारा किया जाता है ।
- अब तक 6,087 बंदियों को लाभांवित किया गया है ।

विवाद विहीन ग्राम योजना

- इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले के तीन गांव को प्रतिवर्ष विवाद मुक्त कराये जाने के प्रयास किये जाते है, जिससे गांव में रहने वाले व्यक्तियों के मध्य कोई विवाद न रहे । यदि कोई विवाद रहता है तो उसे आपसी सूझबूझ, समझौते के आधार पर निपटाया जाकर विवाद रहित बनाया जाता है।
- **अब तक राज्य में 117 ग्रामों को विवाद विहीन बनाया गया है ।**

महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई

- महिला एवं बच्चों से संबंधित समस्याओं का निदान कर शीघ्र न्याय एवं राहत दिलाये जाने के उद्देश्य से प्रत्येक सिविल जिला न्यायालयों में यह इकाई स्थापित है ।
- **अब तक 119 महिला/बच्चों को इस योजना के अंतर्गत लाभांवित किया गया है ।**

श्रमिकों के विरूद्ध अपराध–प्रकोष्ठ

- श्रम विधियों के क्रियान्वयन, श्रमिकों की सुरक्षा, निर्धारित मजदूरी दिलाने, महिला श्रमिकों के प्रति भेदभाव, उन्हें लैंगिक प्रताड़ना से रोकने, बच्चों को श्रमिक के रूप में कार्य करने से रोकने के लिए यह केन्द्र/प्रकोष्ठ सिविल जिला न्यायालयों में कार्यरत है ।
- **अब तक 614 लोगों को लाभांवित किया गया है ।**

लीगल क्लीनिक

- उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ जबलपुर, खण्डपीठ इंदौर, ग्वालियर तथा समस्त सिविल जिला न्यायालयों में कार्यरत है जहॉ योग्य अभिभाषक द्वारा लोगों की समस्याओं का निराकरण मुफ्त कानूनी सहायता व सलाह देकर किया जाता है ।
- **अब तक 2,837 आवेदन पत्रों का निराकरण कराया गया है ।**

लोक उपयोगी सेवाओं के लिए स्थायी लोक अदालत

- प्रत्येक सिविल जिला न्यायालय में जनउपयोगी सेवाओं के लिए स्थापित लोक अदालत में यातायात, डाक, तार/टेलीफोन, विद्युत, प्रकाश, जल प्रदाय, मल वहन/स्वच्छता, अस्पताल एवं बीमा सेवा संबंधी विवादों का आपसी समझौते एवं समझाइश के आधार पर निराकरण किया जाता है ।
- **अब तक 13,524 प्रकरणों का निराकरण किया गया है ।**

प्ली–बारगेनिंग

- प्ली–बारगेनिंग दाण्डिक मामलों का समझौते के आधार पर अंतिम निराकरण हेतु अनुबंध है । कोई अभियुक्त जिसके खिलाफ न्यायालय में मामला चल रहा है और वह 18 वर्ष का है तथा उसका अपराध 7 वर्ष से अधिक के कारावास से दण्डनीय नहीं है वह प्ली–बारगेनिंग के प्रावधान के अनुसार लाभ प्राप्त कर सकता है ।
- **अब तक 3,551 प्रकरणों का निराकरण किया गया है ।**

समाप्त